न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–2, अमरोहा

सत्र परीक्षण संख्या– 258/2016

राज्य प्रति सुरेन्द्र सिंह आदि

अ0सं0– 300/2015
धारा 60 आबकारी अधिनियम
व धारा 272, 273, 420 भा0दं0सं0
थाना– बछरायूं
जिला अमरोहा

आरोप

मैं, **सुरेश चन्द–I**, अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–2, अमरोहा, आप अभियुक्तगण **सुरेन्द्र सिंह व राजेन्द्र उर्फ चमन** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथम– यह कि दिनांक 26.10.2015 को पुलिस पार्टी द्वारा आपको मुखबिर की सूचना के आधार पर देवी सिंह डिग्री कॉलेज गजस्थल को जाने वाले रास्ते खड़न्जे से 100 मीटर आगे हरियाणा मार्का अग्रेजी शराब के साथ समय 7:00 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया, जो केवल हरियाणा राज्य में विक्रीकर हेतु अधिकृत है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप शराब में दवा व कैप्सूल मिलाकर अपायकर हेतु तैयार कर रहे थे, जो मानव जीवन के लिये हानिकारक थी। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 272 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपके द्वारा जो अपायकर शराब तैयार की जा रही थी, वह विक्रय करने के उद्देश्य से तैयार की जा रही थी। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 273 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप बरामद शराब पर नकली लेबिल लगाकर तैयार कर रहे थे, जिसका उद्देश्य छल करना था। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद द्वारा मैं आपको निर्देश देता हूँ कि उक्त आरोप में इस न्यायालय द्वारा आपका विचारण किया जायेगा।

एस0डी0/–

दिनांकः 16.03.2018

सुरेश चन्द– I
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–2
अमरोहा।

उक्त आरोप मेरे द्वारा अभियुक्तगण को पढकर सुनाये गये, जिससे उन्होंने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

एस0डी0/–

दिनांकः 16.03.2018

सुरेश चन्द– I
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या– 2
अमरोहा।

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–2, अमरोहा।
सत्र परीक्षण संख्या– 258/2016
राज्य   प्रति   सुरेन्द्र सिंह आदि।

आदेश

दिनांक 16.03.2018– पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **सुरेन्द्र सिंह व राजेन्द्र उर्फ चमन** अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में हाजिर आया। मैंने आरोप के निर्धारण के प्रश्न पर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी केस डायरी, प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र तथा अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्तगण के विरूद्ध **धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व धारा 272, 273, 420 भा0दं0सं0** के अन्तर्गत आरोप निर्धारण किये जाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण **सुरेन्द्र सिंह व राजेन्द्र उर्फ चमन** के विरूद्ध **धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व धारा 272, 273, 420 भा0दं0सं0** के आरोप निर्धारित किये जाते हैं।

एस0डी0/–

सुरेश चन्द–।
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–2,
अमरोहा